ईएसआईसी में नियोक्ता व कर्मचारी पंजीकरण को बढावा देने की योजना SPREE-2025 शुरु

अनुपूरक न्यूज़ एजेंसी, लखनऊ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने सामाजिक सुरक्षा दायरा बढाने के लिए नियोक्ता एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढावा देने की योजना SPREE-2025 शुरु की है। यह योजना 1 जुलाई-2025 से 31 दिसम्बर - 2025 तक सक्रिय रहेगी इस दौरान अपंजीकृत नियोक्ताओं को पंजीकरण के लिए एक मौका दिया जायेगा। नियोक्ता ईएसआईसी-पोर्टल, श्रम सुविधा- पोर्टल और एमसीए-पोर्टल के जरिये अपनी इकाईयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से पंजीकरण वैध माना जायेगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा। इस अवधि के दौरान पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तिथि अथवा उनके द्वारा घोषित तिथि से ही योजना में शामिल हुआ समझा जायेगा तथा पूर्व में व्याप्ति योग्य होने के सम्बन्ध मे न तो कोई पड़ताल की जाएगी और न ही अन्य कोई कारवाई की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पंजीकरण से बचे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक जागरण, लखनऊ दिनांक 12 JUL 2025

कर्मचारियों को ईएसआइसी में पंजीकरण का मौका

31 दिसंबर तक रहेगी पंजीकरण की सुविधा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: अगर आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं और अब तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआइसी) के तहत पंजीकृत नहीं हैं, तो मौका है। ईएसआइसी ने 'स्प्री' (नियोक्ता व कर्मचारी के पंजीकरण के लिए सरलीकृत प्रक्रिया) योजना शुरू की है। विगत एक जुलाई से शुरू यह योजना 31 दिसंबर तक चलेगी। जिन नियोक्ताओं ने अब तक अपने कर्मचारियों को बीमा योजना में नहीं जोड़ा है, वे इस दौरान बिना किसी जांच या सजा के पंजीकरण करवा सकते हैं। नियोक्ता अपनी फैक्ट्री या कंपनी और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को ईएसआइसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या एमसीए पोर्टल के जरिये आनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं। नियोक्ता जिस तारीख को पंजीकरण घोषित करेगा, उसी दिन से उसे योजना में शामिल माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि का कोई अंशदान या लाभ नहीं देना होगा। इस दौरान कोई जांच पड़ताल या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, भले ही पहले पंजीकरण योग्य रहे हों। इस योजना का मकसद है कि जो भी फैक्ट्री, कंपनी या अन्य प्रतिष्ठान अभी तक ईएसआईसी के दायरे में नहीं आए हैं, वे आगे आकर पंजीकरण कराएं। ईएसआईसी योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को न सिर्फ स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलता है, बल्कि बीमार पड़ने, दुर्घटना या मातृत्व जैसी स्थिति में भी आर्थिक मदद मिलती है। इसके साथ ही मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों को पेंशन जैसी सहायता भी दी जाती है।

राजधानी की महत्वपूर्ण खबरें www.jagran.com पर पढ़ें

ईएसआईसी में नियोक्ता व कर्मचारी पंजीकरण को बढावा देने की योजना एसपीआरईई-2025 शुरु

एक जुलाई से 31 दिसम्बर 2025 तक सक्रिय रहेगी यह योजना

संवाददाता

लखनऊ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)ने सामाजिक सुरक्षा दायरा बढाने के लिए नियोक्ता एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढावा देने की योजना SPREE–2025 शुरु की है। यह योजना 1 जुलाई–2025 से 31 दिसम्बर –2025 तक सक्रिय रहेगी इस दौरान अपंजीकृत नियोक्ताओं को पंजीकरण के लिए एक मौका दिया जायेगा। नियोक्ता ईएसआईसी–पोर्टल, श्रम सुविधा–पोर्टलऔर एमसीए–पोर्टल के जरिये अपनी इकाईयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से पंजीकरण वैध माना जायेगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा । इस अवधि के दौरान पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तिथि अथवा उनके द्वारा घोषित तिथि से ही योजना में शामिल हुआ समझा जायेगा तथा पूर्व में व्याप्ति योग्य होने के सम्बन्ध मे न तो कोई पड़ताल की जाएगी और न ही अन्य कोई कारवाई की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पंजीकरण से बचे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।